न्यायालय श्री अखिलेश प्रताप सिंह, न्या0 दण्डा0, प्र0 श्रे0, दाउदनगर ।
जी0आर0सं0 :–284 / 2021
हसपुरा थाना कांड संख्या :–63 / 2021

13.01.2022 आवेदक चंद्रशेखर पासवान की ओर से उपस्थिति पत्र एवं शक्ति पत्र के साथ एक आवेदन दाखिल किया गया । आवेदन की प्रति विद्वान अ0प0 को दी गई है । आवेदक की ओर से चंदन कुमार का उम्र सत्यापन से संबंधित आधार कार्ड, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा वर्ष 2020 में निर्गत पंजीयन पत्र एवं वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 का प्रवेश पत्र की छायाप्रति दाखिल किया गया है ।

वाद पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उक्त आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि आवेदक चंद्रशेखर पासवान का पुत्र चंदन कुमार है, जो उक्त वाद में अभियुक्त है। शैक्षणिक प्रमाण पत्र के तहत चंदन कुमार का जन्म तिथि दिनांकः–24.02.2005 है, जिसके अनुसार, उक्त वाद में वर्णित घटना की तिथि को चंदन कुमार अवयस्क था । अतः चंदन कुमार के वाद को किशोर न्याय परिषद् औरंगाबाद में भेजने की कृपा की जाय ।

सुना । अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि उक्त वाद पूरक वाद अभिलेख है । आवेदक के द्वारा दाखिल दस्तावेज का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि उक्त आवेदक चंद्रशेखर पासवान का पुत्र चंदन कुमार इस वाद में अभियुक्त है। आवेदक चंद्रशेखर पासवान की ओर से चंदन कुमार का उम्र सत्यापन से संबंधित आधार कार्ड, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा वर्ष 2020 में निर्गत पंजीयन पत्र एवं वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 का प्रवेश पत्र की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जिसमें चंदन कुमार का जन्म तिथि दिनांकः–24.02.2005 अंकित है । विधि विरूद्ध किशोर चंदन कुमार आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित था । उक्त दाखिल दस्तावेजों में वर्णित जन्म तिथि के तहत एवं प्रथम दृष्टया देखने से भी विधि विरूद्ध किशोर चंदन कुमार अवयस्क प्रतीत होता है ।

अतः उपरोक्त तथ्यों के अवलोकनार्थ उपरोक्त विधि विरूद्ध किशोर चंदन कुमार के वाद को किशोर न्याय परिषद् औरंगाबाद में प्रेषित किया जाता है । उपरोक्त आवेदक चंद्रशेखर पासवान को निर्देश दिया जाता है कि विधि विरूद्ध किशोर चंदन कुमार को इस वाद में दिनांक–02.02.2022 को किशोर न्याय परिषद् औरंगाबाद में उपस्थापन सुनिश्चित करावें। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि चंदन कुमार के वाद को पृथक करते हुए, किशोर न्याय परिषद्, औरंगाबाद को प्रेषित करें तथा इससे सम्बन्धित आदेश की छायाप्रति उक्त वाद के अनुसंधानक को भी उपलब्ध करावें ।

न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, दाउदनगर ।